RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

::NOTICE::

No. RHC/Exam Cell/JJA-Clerk Gr-II/2022/409 Date: 24.02.2023

In continuation to Notice No. 106 dated 24.01.2023 for Recruitment to the post of Junior Judicial Assistant for Rajasthan High Court, Junior Assistant for Rajasthan State Legal Services Authority & District Legal Services Authorities (including Taluka Legal Services Committees & Permanent Lok Adalats) and Clerk Grade-II for Rajasthan State Judicial Academy & District Courts, 2022, it is **NOTIFIED** that the Admission Cards of all the candidates, provisionally allowed to appear in the Written Test scheduled on 12.03.2023 (Sunday) & 19.03.2023 (Sunday) from 12:00 noon to 02:00 pm, have been uploaded.

Admission Card can be downloaded by entering respective User Name, Password and Captcha Code. The link "Admission Card" is provided on the official website of this Court. No Admission Card shall be sent to the candidates separately.

Note: ***Request for change of Examination Date/ Examination Centre shall not be entertained under any circumstances.***

Harish 24.02.2023

Registrar (Examination)

अभ्यर्थियों हेतु निर्देश

1. परीक्षा में उपस्थित होने हेतु इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट से डाउनलोड किए गए **प्रवेश पत्र (Admit Card)** को अभ्यर्थी अपने साथ लाएंगे। **अभ्यर्थी अपने साथ अपनी हाल ही में खींची हुई 2.5cm X 2.5cmकी रंगीन फोटो लायेंगे।** अभ्यर्थी, जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने साथ निम्नांकित लाना अनिवार्य होगाः–

   (a)स्वयं के फोटो युक्त मूल (original) पहचान पत्रों (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/वोटर आई डी कार्ड/पासपोर्ट/पैन कार्ड) में से कोई एक, उसकी फोटो प्रति के साथ।

   (b)प्रश्न का उत्तर देने हेतु, ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में अंकित गोले को भरने के लिए **काला/नीला बॉल प्वाईन्ट पैन।**
3. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति पर अपने रोल नम्बर अंकित करें।
4. अभ्यर्थी अपने साथ **50मिलीलीटर की सैनिटाईजर बोतल** और **पानी की पारदर्शी बोतल** ला सकेंगे।
5. मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर अथवा अन्य किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण, स्लाईड रूल, ज्यामितीय बॉक्स, बटुआ, थैला आदि को परीक्षा केन्द्र के परिसर के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. **प्रत्येक अभ्यर्थी को फेस मास्क पहनना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर नया/अप्रयुक्त फेस मास्क प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं के घर से पहनकर आये फेस मास्क को उतारकर, परीक्षा केन्द्र में प्रदान किया गया नया/अप्रयुक्त फेस मास्क पहनना होगा।**
7. **अभ्यर्थी समय से परीक्षा केन्द्र पर पहुचेंगे। उन्हें परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पूर्व से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।**
8. **प्रत्येक अभ्यर्थी अपने परीक्षा केन्द्र की सीट पर अंकित रोल नम्बर को अपने प्रवेश पत्र से सत्यापित (verify) कर, उसके लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे।**
9. **कोविड–19 वायरस से सावधानी के तौर पर, अभ्यर्थियों के हाथ प्रवेश द्वार पर सैनिटाईज/साफ किये जायेंगे। अभ्यर्थी किसी तरह का कोई समूह नहीं बनाएंगे एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे।**
10. परीक्षा के दौरान चार (4) तरह की घण्टी (bell) बजायी जाएगी

    A. Distribution Bell- परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व

    B. Commencement Bell- परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर

    C. Warning Bell- परीक्षा की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व

    D. Conclusion Bell- परीक्षा की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर
11. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व अर्थात् Distribution Bell पर वितरित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ओ.एम. आर. उत्तर पत्रक को ठीक से जांच लेवें तथा कटे–फटे होने की स्थिति में निरीक्षक (invigilator) से बदलवा लेवें।
12. अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में अपनी यथार्थता/प्रामाणिकता (genuineness) के **प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।**

13. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वह ओ.एम.आर उत्तर पत्रक के किसी अन्य भाग पर अपना नाम एवं रोल नम्बर न लिखे और अपनी पहचान बताने के लिए कोई संकेत या लघुहस्ताक्षर या निशान या शब्द न लिखें।

14. परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर घण्टी **(Commencement Bell)** बजने पर प्रश्न पत्र बुकलेट वितरित की जायेंगी। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर संदर्भित और विनिर्दिष्ट स्थान पर सभी **आवश्यक जानकारी जैसे रोल नम्बर, प्रश्न पत्र बुकलेट की सीरीज आदि को ठीक से भरा हो।**

15. अभ्यर्थियों को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, गोले को काला करने के लिए सही विधि, *जैसे कि गोले को पूरी तरह काला किया जाना चाहिए, अपनाते हुए ओ.एम.आर.* उत्तर पत्रक के सिर्फ एक गोले को भरना है। **व्हाईटनर का उपयोग निषिद्ध है।**

16. **निम्नलिखित स्थितियों में प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन नही किया जाएगाः—**

    a. यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक गोले को काला किया जाता है या

    b. यदि अभ्यर्थी द्वारा गोले को गलत विधि से काला किया जाता है या

    c. यदि अभ्यर्थी द्वारा पहले से भरे गए गोले को मिटाने हेतु व्हाईटनर का प्रयोग किया जाता है।

    d. यदि अभ्यर्थी द्वारा गोला भरते समय, गोले पर पैन की स्याही का फैलाव हो गया हो।

17. **निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी के ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाकर उन्हें मूल्यांकन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगाः—**

    a. यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर के गोलों को गलत भर दिया गया है या

    b. यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर के गोले भरते समय एक अंक के नीचे एक से अधिक गोले को काला किया गया है या

    c. यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर के गोले भरते समय उन्हें गलत विधि से काला किया गया है या

    d. यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर के गोले भरते समय, एक अथवा एक से अधिक गोले नहीं भरे गए हैं या

    e. यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर के गोले भरते समय, पहले से भरे गए गोले को मिटाने हेतु व्हाईटनर का प्रयोग किया गया है या

    f. यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर के गोले भरते समय किसी अंक के गोले पर पैन की स्याही का फैलाव हो गया हो या

    g. यदि अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला काला नहीं किया गया हो या

    h. यदि अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला भरते समय एक से अधिक गोले को काला किया गया है या

    i. यदि अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला भरते समय उसे गलत विधि से काला किया गया है या

    j. यदि अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला भरते समय पहले से भरे गए गोले को मिटाने हेतु व्हाईटनर का प्रयोग किया गया है या

k. यदि अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला भरते समय गोले पर पैन की स्याही का फैलाव हो गया हो।

18. लेखन सामग्री, स्टेन्सिल्स आदि का आदान–प्रदान पूर्णत निषिद्ध है।
19. देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को, व्यक्त कारणों से संतुष्ट होने पर, नोडल अधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक के विवेक पर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। **किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
20. **परीक्षा केन्द्र/परीक्षा की दिनांक के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**
21. अभ्यर्थी को उसकी प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय पूर्व परीक्षा हॉल को छोड़ने की इच्छा रखता है तो उसे परीक्षा समाप्ति हेतु नियत समय से, 30 मिनट पूर्व की अवधि में ही ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी, **लेकिन उसे अपनी प्रश्न पत्र बुकलेट एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
22. परीक्षा की समाप्ति से 10 मिनट पहले एक warning bell बजायी जाएगी। तत्पश्चात् परीक्षा की समाप्ति के लिए नियत समय पर conclusion bell बजायी जायेगी जिस पर अभ्यर्थियों को लिखना बन्द कर निरीक्षक को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक सौंपने हेतु तत्पर रहना होगा। जब तक सभी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक निरीक्षक द्वारा एकत्रित नहीं कर ली जाती है तब तक अभ्यर्थी अपनी सीट नहीं छोड़ सकेंगे।
23. परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक द्वारा निर्देशित नहीं किये जाने तक अभ्यर्थी अपनी सीट से न उठें। सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु, अभ्यर्थियों को एक–एक कर बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
24. अभ्यर्थी जो नोडल अधिकारियों/केन्द्राधीक्षक/निरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है या जो असभ्य या अवज्ञाकारी व्यवहार का दोषी पाया जाता है, वह परीक्षा कक्ष/हॉल से तुरन्त निष्कासित किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
25. **इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से विवर्जित कर दिया जाएगा एवं दाण्डिक कार्यवाही के अधीन भी रखा जा सकता है।**
26. परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों के लिए कोई यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।

****